इकाई–6

केन्द्रीय स्तर पर सामाजिक प्रशासन
(Social Welfare Administration at Union Level)

पाठसंरचना(Lesson Structure)

6.0 उद्देश्य(Objective)

6.1 परिचय(Introduction)

6.2 कल्याणमंत्रायल(Ministry of Social Welfare)

6.3 सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय(Ministry of Social Justice and Empowerment)

6.4 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(Department of women and child development)

6.5 केन्द्रीयसमाजकल्याणबोर्ड (Centre Social Welfare Board)

6.6 साराशं(Conclusion)

6.7 अभ्यासकेप्रश्न(Questions for Exercise)

6.8 प्रस्तावितपाठ (Suggested Readings)

6.0 उद्देश्य(Objective)

समाज कल्याण के कार्यक्रम बहुमुखी और व्यापक है। इस पाठ्य संरचना का उद्देश्य अगले विभिन्न अध्यायों में समाज कल्याण कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डालना है। तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर विस्तृत विवरण देना है। अत: अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस पाठ्य में पृष्भूमि के रूप में समस्त समाज कल्याण-प्रशासन और समाज कल्याण कार्यक्रमों की रुप रेखा प्रस्तुत की गई है।

6.1 परिचय(Introduction)

देश में समाज कल्याण की गतिविधियों की भारतीय संविधान से प्रेरणा मिली है, जिसके अनुसार देश में कलयाणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य है। संविधान के 38वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं को अनुप्राणित करे, और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।

वर्षों से समाज कल्याण सेवाओं ने समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों, स्त्रियों और बच्चों तथा गाँवों और जनजाति क्षेत्रों तथा शहर की गंदगी और गंदी बस्तियों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों के विकास और पुन:स्थापना की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

भारत का स्वरूप एक संघ राष्ट्र का है। अत: कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्रीय व राज्य दोनों सरकारों की है। केन्द्र सरकार समाज कल्याण सेवाओं की राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिये जिम्मेदार है। और इसी कारण, इसे ध्यान में रखते हुए कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड जैसे संस्थाओं एवं मंत्रालयों की स्थापना की गई।

समाज कल्याण विभाग की स्थापना 14 जून, 1964 में तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। प्रस्तुत अभ्यास में इन दोनों के अतिरिक्त अन्य संगठनों, मंत्रालयों, कार्यों आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा। केंद्रीय स्तर पर जो समाज कल्याण कार्यक्रम है उनके संचालन का प्रत्यक्ष भार विभिन्न संस्थाओं, समीतियों इत्यादि पर है।

6.2 कल्याणमंत्रालय(Ministry of Social Welfare)

स्वतंत्रता के समय समाज कल्याण से संबंधित किसी प्रकार का पृथक विभाग या मंत्रालय संघीय स्तर पर कार्यरत नहीं था। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दी समाज कल्याण तथा असहाय व्यक्तियों की सहायता से संबंधित कार्य किये जाते थे। समाज कल्याण से संबंध कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिये सबसे पहले जून 1964 में एक पृथक विभाग बनाने का प्रयास किया गया। इस सामाजिक सुरक्षा विभाग को सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्य दूसरे मंत्रालयों से लेकर सौंपे गये और इस प्रकर 14 जून, 1964 को 'सामाजिक सुरक्षा विभाग' की स्थापना की गई। इस समय विभाग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग तथा खादी एव हस्तकला के कार्य सम्मिलित थे। इसके बाद जनवरी 1966 में सामाजिक सुरक्षा विभाग को पहले जो कार्य दिये गये थे उे पुन: शिक्षा, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मंत्रालयों को सौंप दिये गये तथा इस विभाग, का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। 1972 में समाज कल्याण विभाग को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। उस समय देश में कुछ राजनीतिक उथल पुथल तथा कुछ औद्योगिक विकास ही रहे थे, अत: समाज कल्याण से संबंधित कार्यों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा प्रतीत होने लगा। अत: इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुये 24 अगस्त 1979 को समाज कल्याण विभाग को 'शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय' से अलग करके एक स्वतंत्र मंत्रालय, जिसका नाम 'समाज कल्याण मंत्रालय' नाम दिया गया। अत: समाज कल्याण मंत्रालय या समाज कल्याण विभाग एक ही है। इसी क्रम में 'समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय' से 'महिला तथा बाल विकास विभाग' अलग करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय

के अधीन कर दिया गया तथा समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय को 25 सितंबर, 1985 को 'कल्याण मंत्रालय' का नाम दिया गया।

चूँकि सामाजिक कल्याण से संबंधित अनेक कार्य सरकार के दूसरे मंत्रालयों के कार्यों से भी संबंध रखती है, इसलिये समाज कल्यण से संबंधित इस विभाग या मंत्रालय में बार-बार समय के अनुसार परिवर्तन करने पड़े हैं। 25 मई, 1998 को कल्याण मंत्रालय का नाम 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' कर दिया गया। इस मंत्रालय की चर्चा आगे की जायेगी।

समाज कल्याण मंत्रालय के कार्य :-

समाज कल्याण मंत्रालय का अपना अस्तित्व में आने के बाद उसके कार्य मुख्य रूप से जो थे उनमें प्रमुख हैं–

1. समाज कल्याण, समाज कल्याण आयोजन, परियोजना बनाना, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण।
2. परिवार कल्याण।
3. महिला और बाल कल्याण और इस विषय से संबंधित अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय।
4. स्कूल पूर्व बच्चों की देखभाल।
5. राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का समन्वय, स्कूल पूर्व बच्चों को पोषाहार और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा।
6. जरूरतमंद बालकों की, जिनमें अनाथ बच्चे शामिल है, उनकी देखभाल।
7. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल निधि (यूनिसेफ)।
8. शारीरिक एवं मानसिक रूप से नि:शक्तों को शिक्षा, प्रशिक्षण, पुर्नवास और कल्याण।
9. शारीरिक रुप से नि:शक्त और मंदबुि लोगों के लिये राष्ट्रीय संस्थान।
10. राष्ट्रीय दृष्टिहीनों के लिये केन्द्र।
11. सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
12. भिक्षावृत्ति, किशोर आवारागर्दी तथा अन्य देखभाल कार्यक्रम।
13. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा।
14. सामाजिक सुरक्षा के सभी मामलों पर अनुसंधान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण इत्यादि।
15. नशबन्दी के सभी मामले।
16. मादक औषधि व्यसन के शिक्षा और समाज कल्याण संबंधी पहलू।
17. राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान।
18. 'केयर' के कार्य कलापों का समन्वय।

19. कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर।

इस प्रकार समाज कल्याण विभाग अथवा मंत्रालय के इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्य हैं। इसके वार्षिक रिपोर्ट 1979-80 के अनुसार इस मंत्रालय का काम तीन विभागों द्वारा संचालित किया जाता है—

1. पोषाहार और बाल विकास।
2. सामाजिक सुरक्षा और समाज रक्षा
3. महिला कल्याण और विकास के माध्यम से चलाया जाता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान तथा राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान ने इस मंत्रालय को इसके कार्यों में सहायता प्रदान किया है।

समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अनेक समाज कल्याण के कार्यक्रम चलाये गये जैसे-बाल विकास और पोषाहार-इसके अन्तर्गत सभी बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाना, पोषहार, प्रदान करना तथा समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों ओर विकलांग, अवचारी इत्यादि बच्चों को विशेष सहायता प्रदान करना। इस प्रका बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। परिवार और बाल कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र भी खोले गये।

महिला कल्याण और विकास :-

संविधान में स्त्रियों और पुरुषों दोनों को समान अवसरों और स्थिति की गारंटी है तो भी इस देश की स्त्रियाँ लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ हुई है। भारत में स्त्रियों की स्थिति सम्ब□ समिति ने भी महिला विकास के लिये आवश्यक प्रयत्नों और उपायों को समन्वित और तेज करने के लिये एक राष्ट्रीय मशीनरी के लिये जोर दिया था।

महिला कल्याण और विकास के लिये अनेक कार्यक्रम चलाये गये। जैसे श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल, प्रौढ़ महिलाओं के लिये कार्यात्मक साक्षरता की योजना, निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास के प्रशिक्षण केन्द्र और कुछ नई परियोजनायें और कार्यक्रम की शुरुआत की।

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण एवं पुनर्वास :-

यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के स्वरूप एवं आकार से संबंधित सही आंकड़ों का ज्ञान नहीं है, फिर भी समाज के असुरक्षित वर्गों के बीच इसका व्यापक विस्तार चिन्ता का विषय बना हुआ है। केन्द्रीय समाज मंत्रालय विकालांग व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा के लिये कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया, तथा उन स्वच्छिक प्रयत्नों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान किया जो इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस ओर राष्ट्रीय दृष्टिहीनार्थ संस्थान की स्थापना भी 2 जुलाई 1979 में की गई थी। यह संस्थान दृष्टिहीन बच्चों के लिये मॉडल स्कूल, पुस्ताकालय, वार्कशाप, प्रशिक्षण और कार्यात्मक साक्षरता इत्यादि का प्रबंध किया।

मन्द बु□ बच्चों के लिये भी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई और बधिर बच्चों के लिये राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना में की गई। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकलांग संस्थान की स्थापना भी पश्चिम बंगाल में की गई। प्रौढ़ बधिरों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद में 1962 में ही खोली गई थी जिसने बधिर लड़के और लड़कियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने क कार्य जारी रखा।

मन्दु बु□ बच्चों के लिये माड्ल स्कूल की स्थापना भी की गई। 6 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुक्त भोजन, आवास एवं कपड़े प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा देने का प्रावधान भी किया गया। सामान्य शिक्षा

देने के अतिरिक्त बुनाई, सिलाई, कशीदागारी, खिलौने बनाना, मोमबत्ती बनाना जैसे शिल्पों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके विक्रय का भी प्रबंध किया जाता है।

स्कूल के साथ एक क्लिनिक भी संलग्न किया गया, जिससे स्कूल के बच्चों को चिकित्सा सेवायें प्रदान की जा सके।

आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिये भी स्कूल की स्थापना हैदराबाद में की गई जहाँ इन्हें शैक्षिक और दूसरे प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

समाज कल्याण मंत्राल विकलांग छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना भी चला रहा है जिसके अधीन विकलांग छात्रों को 9 नवीं कक्षा से आगे की अपनी शिक्षा के लिये या व्यवसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग छात्रों को स्वावलम्बी बनाना है। परन्तु बाद में इस योजना की क्रियान्विति राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। क्योंकि छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा दी जाती थी और आवेद न पत्र राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त होते थे।

समाज कल्याण मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने का भी प्रावधान किया, जिससे विकलांग व्यतियों के लिये स्वयंसेवी संगठन उनकी शिक्षा की परियोजनाओं और कार्यक्रमों को उचित रूप से चला सकें। इस योजना के अधीन यह जरुरी था कि सहायक अनुदान लेने के लिये एक संगठन का कम से कम 3 वर्ष का अस्तित्व होना जरूरी था।

समाज रक्षा जो विकासशील समाज की मुख्य समस्या है, जिसमें बाल आवारागर्दी, उपचार तथा अपराध, भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति, मादक औषधियों का व्यसन, एल्कोहोल का दुरुपयोग आदि आते हैं, इनका उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। समाज कल्याण मंत्रालय का कार्य मुख्य रूप से मार्गदर्शन, अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित है।

परन्तु समाज कल्याण मंत्रालय मद्य निषेध के पक्ष में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षाप्रद प्रचार कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 1979-80 में 7 स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान समाज कल्याण मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जिसके प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य हैं समाज रक्षा के क्षेत्र में नीतियों और कार्यों की समीक्षा करना। इस संस्थान का संबंध समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में निवारक, सुधारात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायोंसे है जैसे कैदियों का कल्याण, जेल सुधार प्रशासन, बाल आबादी, उपचार तथा अपराध, भिक्षावृत्ति, सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य, जुआ, आत्मत्या, औषधि व्यसन इत्यादि।

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तथा समाज रक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा सेमीनारों का आयोजन करता है। अपने एक प्राथमिक कृत्य के रूप में यह संस्थान समाज रक्षा कार्यक्रमों के विभिन्न पक्षों पर आँकड़े तथा तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करता रहा है।

समाज कल्यण मंत्रालय एक केंद्रीय योजना चलाता रहा है जिसके अंतर्गत समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अखिल भारतीय स्तर के मुख्य स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों को संगठात्मक सहायता दी जाती है।

समाज कल्याण मंत्रालय जन सहयोग में ग्रामीण स्त्रियों को प्रशिक्षण देने की योजना भी चलाई। यह योजना मूल रूप से 1965 में तैयार की गई थी। परन्तु 1968 में समाज कल्याण मंत्रालय को हस्तान्तरण किया गया। इस

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्त्रियों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास गतिविधियों और ग्रामीण स्त्रियों के सामान्य उत्थान के लिये जन सहयोग कार्य में प्रशिक्षण देना। यह योजना 1 अप्रैल 1977 से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित कर दी गई थी।

केंद्रीय स्तर पर पृथक समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना से काफी लाभ हुआ, जैसे-इससे प्रशासन में मितव्ययता आयी तथा पृथक मंत्रालय की स्थापना से सामाजिक कार्यों में उचित समन्वय की स्थापना की गई। पृथक मंत्रालय की स्थापना से सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली नियोजन किया जा सकेगा तथा प्रशासनिक निर्णय लेने में सुविधा हुई। मंत्रालय के अलग होने से अन्य मंत्रालयों से बराबरी के स्तर पर बात करने में सहूलियत होती है। पृथक रूप से समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना करके एक व्यावहारिक कदम उठाया गया।

समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन :-

समाज कल्याण विभाग अथवा मंत्रालय का कार्य तीन विभागों द्वारा चलाया जात है—

1. पोषाहार और बाल विकास।
2. सामाजिक सुरक्षा और समाज रक्षा।
3. महिला कल्याण और विकास।

इन तीनों विभागों का प्रधान एक संयुक्त सचिव के अंतर्गत रख गया है। इसका राजनीतिक अध्यक्ष एक मंत्री होता है परन्तु इसके शीर्ष का अधिकारी सचिव होता है। सचिव के अधीन तीन संयुक्त सचिव होते हैं—

(क) संयुक्त सचिव (प्रशासन) समाज सुरक्षा तथा रक्षा,

(ख) संयुक्त सचिव (पोषाहार एवं बाल विकास)

(ग) संयुक्त सचिव (महिला कल्याण एवं विकास)।

इसके अतिरिक्त सचिव के अधीन एक वित्त सलाहकार होता है, जो संयुक्त सचिव के बराबरी के दर्जे का अधिकारी होता है।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) समाज सुरक्षा तथा रक्षा के अधीन दो उपसचिव, दो अवर सचिव और एक लेखा नियंत्रक होता है। इसमें इन्हें सहायता प्रदा करने के लिये डेस्क अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ विश्लेषक तथा संसद सहायक भी होते हैं।

संयुक्त सचिव (पोषाहार एवं बाल विकास) के अधीन एक निदेशक तीन उपसचिव विभिन्न कार्यों के लिये, दो अवर सचिव होते हैं। निदेशक के नीचे एक संयुक्त निदेशक, उसके नीचे एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और फिर उसके नीचे एक अनुसंधान अधिकारी होता है। इसके अतिरिक्त कुछ अनुभाग अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी भी होते है।

संयुक्त सचिव (महिला कल्याण एवं विकास) के नीचे दो अवर सचिव, एक निदेशक होता हैं। उपसचिव के नीचे एक डेस्क अधिकारी होता है। निदेशक के नीचे दो डेस्क अधिकारी होते हैं। अवर सचिव के नीचे एक सहायक सम्पादक और एक अनुभाग अधिकारी है।

वित्त सलाहाकर के नीचे एक लेख नियंत्रक होता है। इस लेखा नियंत्रक के नीचे एक कनिष्ठ विश्लेषक और एक लेखाधिकारी होता है।

समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत कार्यालय तथा अनेक सहयोगी कार्यालय भी कार्यरत है, जिनकी संख्या करीब 19 है। उनमें केंद्रीय समाज बोर्ड की चर्चा अगले अध्याय में की जायेगी।

समाज कल्याण मंत्रालय का यह रूप एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में, जैसी कि पहले बतलाया जा चुका है, 24 अगस्त, 1979 को दिया गया था। परन्तु वर्ष 1983-84 में पुनः इस मंत्रालय का नाम परिवर्तित किया गया तथा यह मंत्रालय 'समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय' कहलाने लगा। लेकिन 1984 के पश्चात् भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में व्यापक परिवर्तन हुये। समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय को 1985 में 'कल्याण मंत्रालय' का नाम दिया गया। चूंकि सामाजिक कल्याण से संबंधित अनेक गतिविधियाँ सरकार के अन्य मंत्रालयों से भी संबंधित होते हैं, इसलिये बार-बार समय के अनुसार प्रशासनिक परिवर्तन करने पड़े। और 25 मई, 1998 को 'कल्याण मंत्रालय' का नाम 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' कर दिया गया।

6.3 *सामाजिकन्यायएवंअधिकारितामंत्रालय*(Ministry of Social Justice)

पूर्व कल्याण मंत्रालय के साथ कार्यरत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति वित्त एवं विकास निगम' को 6 दिसंबर 2000 को दो निगमों में विभक्त कर दिया, और अनुसूचित जाति से संबंधित कार्य 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' को सौंप दिये गये। और अनुसूचित जनजाति के कार्य नये बने जनजातीय कार्य मंत्रालय को सौंप दिये गये।

संगठनः-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के शास्त्री भवन में स्थित है। यह मंत्रालय एक वरिष्ठ मंत्री के अन्तर्गत कार्य करता है। प्रायः यह परम्परा रही है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का पद किसी महिला अथवा अनुसूचित जाति या जनजाति के वरिष्ठ राजनेता को दिया जाता है। चूंकि सामाजिक विकास तथा समाज कल्याण से सम्ब□ कार्यों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत तथा जटिल है, इसलिये समाज कल्याण से संबंधित बहुत से कार्य विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को सौंपे गये हैं। कैबिनेट मंत्री के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के नियंत्रण तथा नेतृत्व में यह मंत्रालय कार्य करता है। कैबिनेट मंत्री को उसके रोज के कार्यों में राजनीतिक सहायता प्रदान करने के लिये एक राज्य मंत्री होता है। यदि आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री एक उपमंत्री की नियुक्ति भी कर सकता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख एक सचिव होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ पदाधिकारी होता है। सचिव ही वह कड़ी है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करता है। यह मंत्री को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता, परामर्श देता है तथा मंत्री को सूचना सामग्री उपलब्ध करवाने का समूचा दायित्व सचिव का ही होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव के अधीन वर्तमान में एक अतिरिक्त सचिव तथा चार संयुक्त सचिव तथा एक वित्तीय सलाहकार भी होता है। इनके अधीन अधिकारी और कर्मचारीगण भी कार्यरत होते हैं। संयुक्त सचिवों के अधीन निदेशक, उपसचिव भी होते हैं। इन अधिकारियों के अधीन उपनिदेशक, सहायक निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा लिपिक कार्य करते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में कीरब-करीब 1,100 अधिकारी तथा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसमें बढ़ोत्तरी भी की जा सकती है।

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय

संगठात्मक ढांचा

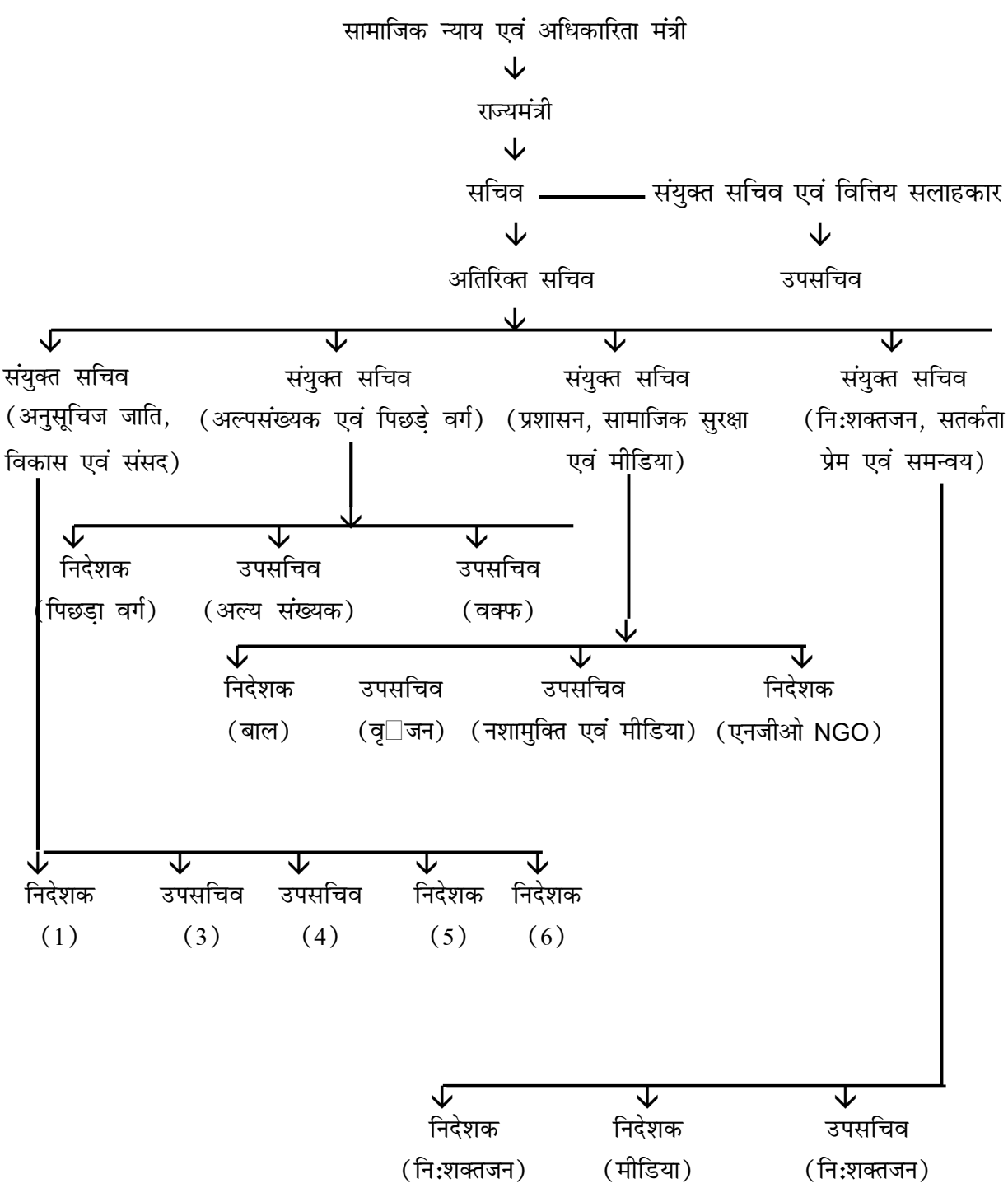

***प्रेम*(PREM) – Planning, Research, Evaluation & Manitaring.**

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अपने कार्यों को सुगमता से चलाने के लिये इसे 10 प्रभागों में बाँटा गया है–

(1) प्रशासन प्रभाग

(2) समाज रक्षा प्रभाग

(3) प्रेम प्रभाग (योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा मॉनीटरिंग)

(4) अल्प संख्यक प्रभाग

(5) पिछड़ी जाति प्रभाग

(6) अनुसूचित जाति प्रभाग

(7) विकलांग कल्याण प्रभाग

(8) पशु कल्याण प्रभाग

(9) वित्त प्रभाग

(10) वक्फ प्रभाग

मुंत्रालय में 47 इकाइयाँ या प्रकोष्ठ या डेस्क कार्यरत हैं।

इस मंत्रालय की वर्तमान संरचना तथा कार्यप्रणाली, अनुसूचित जाति विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा बाल कल्याण, नि:शक्त कल्याण, अल्पसंख्यकों की रक्षा, पशु कल्याण तथा वक्फ से संबंधित है। मुस्लिम धार्मिक स्थलों (वक्फ) से संबंधित कार्य इस मंत्रालय को 23 जनवरी 1986 से दिये गय हैं।

मंत्रालय को आवंटित विषय के संबंध में, समाज के आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक विकास से संबंधित अनेक कार्य सरकार द्वारा किये जाते हैं, जिसका क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है, अत: समाज कल्याण से संबंधित बहुत से विस्तृत और जटिल कार्यों को सुविधा की दृष्टि से विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को सौंपे गये हैं।

कार्यतथाकार्यक्रम:–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का गठन 25, सितंबर, 1985 को अनुसूचित जातियों, धार्मिक तथा भाषाई अल्संख्यकों, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजनों तथा समाज रक्षा (बाल अपराध तथा नशेड़ी) असहाय, वृ□ों तथा वक्फ प्रशासन से संबंधित कल्याण के कार्यों के लिये किया गया था।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्य दो प्रकार के हैं–1. सामान्य कार्य 2. विशिष्ट कार्य

1. ***सामान्यकार्य:***–सामान्य कार्य के अंतर्गत मंत्रालय के दैनिक प्रशासनिक क्रिया कलापों तथा लोक प्रशासन के सै□ांतिक पक्षों को रखा गया है। अत: सामान्य कार्य में–

1. सामाजिक कल्याण से संबंधित नीतियों का निर्माण करना,
2. समाज कल्याण, समाज रक्षा तथा दलित वर्ग के कल्याण के लिये विधि बनाना,
3. सामाजिक प्रशासन से सम्ब□ संस्थाओं तथा संगठनों का नेतृत्व करना,
4. समाज कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का संचालन करना,
5. समाज कल्याण के क्षेत्र में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना,
6. पिछड़े वर्गों, नि:शक्तजन तथा बेसहारा व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना तथा उसके अनुसार कार्यों की रणनीति तैयार करना

7. संसद द्वारा बनाई गढ समाज कल्याण से संबंधित नीतियों तथा अधिनियमों को कार्यरूप में परिणित करना
8. समाज कल्याण से संबंधित दूसरे मंत्रालयों तथा संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना,
9. संसद में समाज कल्याण संबंधित प्रश्नोत्तर के लिये सूचना उपलब्ध करना,
10. समाज कल्याण से संबंधित शिक्षा, संचार तथा ज्ञान की जानकारी देना,
11. अनुसूचित जाति, समाज रक्षा, बाल कल्याण तथा नि:शक्तजन कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की मानीटरिंग तथा मूल्यांकन समय-समय पर करना
12. समाज कल्याण के क्षेत्र में शोध कार्य करवाना,
13. अन्य कार्यों जो इस मंत्रालय को समय-समय पर सौंपे जायें।

उपर दिये गये सारे कार्य सामान्य कार्यों के अंतरगत आते हैं। विशिष्ट कायों में संबंधित मंत्रालय को सौंपे गये उत्तरदायित्वों की सम्पूर्ति के लिये संचालित विशेष कार्यक्रमों तथा योजनाओं की परिगणना की जा सकती है।

2. विशिष्टकार्य:-विशिष्ट कार्य के अंतर्गत भी अनेक कार्य आते हैं जिनमें आयोग एवं कार्यालय भी सम्मिलित हैं। जैसे–

1. संवैधानिक तथा वैधानिक कार्य एवं कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियाँ, पंजीकृत सोसायटी, अधीनस्थ कार्यालय (राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान नई दिल्ली (NISD) और अन्य कई फाउन्डेशन इत्यादि आते हैं।

2. ***अनुसूचितजातियोंकेविकासमेंभूमिका:***-सामाजिक निर्योग्याता, पस्पृश्यता, गरीबी तथा अत्याचारों से पीड़ित इस वर्ग के उत्थान के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनेक कार्यक्रम चलायें जाते हैं। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय योजना 1992 से संचालित की जा रही है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार, कौशल विकास, कृषि, व्यवसाय लघु उद्योग, व्यापार तथा परिवहन इत्यादि के रोजगारोन्मुखी योजनायें संचालित करता है। राज्य सरकार के माध्यम से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर दात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि तथा पोलिटेकनीक विषयों पर पुस्तक बैक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

चौथी पंचवर्षीय योजना से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सिविल, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा बैंकिंग इत्यादि की परीक्षाओं से पूर्व प्रशिक्षण के लिये यह मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा लड़कियों एवं लड़कों के लिये पृथक-पृथक छात्रावास सुविधा को इस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। साथ ही अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को एम०फिल० एवं पी०एच०डी० के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप भी प्रदान करता है।

अनुसूचिज जातियों के लिये कार्य करने वाले स्वेच्छिक संगठनों को यह मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति विकास संबंधी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण आयोजित करने वाले विश्वविद्यालयों, संस्थानों, अकादमियों तथा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और अनुसूचित जातियों के विकास में डा० अम्बेडकर से संबंधित अनेक प्रतिष्ठान एवं आवश्यक कार्य केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। अत: जैसा कि पहले भी बतलाया जा चुका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित सभी प्रशासकीय कार्यों की संपूर्ति यहीं मंत्रालय करता है।

3. अन्यपिछड़ावर्गकेकल्याणसेसंबंधितकार्य:-

उच्चतम न्यायालय द्वारा 16 नवंबर 1991 के निर्णय के अनुसार पिछड़े वर्गों को नौकरियों में 27% आरक्षण देने, आयु सीमा तथा अवसरों में छूट इत्यादि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से प्रतिमाह प्रतिवेदन प्राप्त करता है, तथा आवश्यक दिशा निर्देश जारी करता है। उनके लिये पूर्व परीक्षा कोचिंग की व्यवस्था भी इसी मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों को 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित्त निगम' से वित्तीय सहायता प्रदान करवाता है जिससे वे छोटे-छोटे उद्योग, व्यवसाय, स्वरोजगार, कृषि, शिल्प इत्यादि जैसे व्यापार शुरु कर सकें। साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मैट्रिक एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देता है।

4. अल्पसंख्यककल्याणसेसंबंधितकार्य:-

देश की कुल जनसंख्या के 17.17 प्रतिशत अल्पसंख्यकों में पाँच समुदायों जैसे—मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौ तथा पारसी आते हैं। धर्म तथा भाषा के आधार पर इन समुदायों की रक्षा तथा विकास के लिये केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनेक कार्यों का सम्पादन करता है जैसे—साम्प्रदायिक दंगों से बचाव पुनर्वास के लिये गृह मंत्रालय, शैक्षणिक विकास के लिये शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास के लिये श्रम मंत्रालय इत्यादि से समन्वय स्थापित करता है और अल्पसंख्यकों के विकास के लिये अनेक योजनायें संचालित करवाता है।

'राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम' से ऋण का प्रयास इनके लिये किया जाता है जिससे वे अपने स्वरोजगार की व्यवस्था कर सकें और साथ ही "कौमी एकता" के प्रयास भी इस मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं।

5. वक्फप्रशासन:-

वक्फ मुस्लिम कानून में चल और अचल संपत्तियों के स्थायी प्रतिष्ठान होते हैं जिन्हें मुस्लिम कानून में धार्मिक पवित्रता अर्थात धर्म के कार्यों को करने से मान्यता प्राप्त है। वक्फ धार्मिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक पुनरुत्थान के साधन भी है, क्योंकि इनके द्वारा जरूरतमंद लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक विकास के लाभी भी प्रदान किये जाते हैं। अत: वक्फ प्रशासन से संबंधित अनेक कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किये जाते हैं। जैसे-वक्फ अधिनियम 1995 के माध्यम से वक्फ सम्पत्तियों की रक्षा, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शिक्षा, तकनीकी, प्रशिक्षण तथा साम्प्रदायिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना, दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 के अनुसार दरगाह के नाजिम, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की सेवायें सुनिश्चित करवाना इत्यादि।

6. नि:शक्तजनकल्याण:-

नि:शक्तनों में वाणी, दृष्टि तथा अस्थि से संबंधित व्यक्ति आते है। देश में शारीरिक तथा मानसिक रूप से नि:शक्तजनों की बड़ी संख्या को देखते हुये इस मंत्रालय के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

अत: नि:शक्जनों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, जनशक्ति विकास, पुनर्वास, बेरोजगारी तथा विशेष बीमा योजना इत्यादि कार्यों को कुशलतापूर्वक करवाने का उत्तरदायित्व इसी मंत्रालय को सौंपा गया है।

नि:शक्जन से संबंधित अनेक संस्थानों को प्रशासकीय सहायता का कार्य यह मंत्रालय सम्पादित करता है। नि:सक्तजन कल्याण कार्यों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों को सहायक यंत्र उपकरण खरीदने तथा अन्य कार्यों के लिये यह मंत्रालय अनुदान भी वितरित करता है। यह सरकारी तथा गैर सरकारी अभिकरणों को शत प्रतिशत सहायता यह मंत्रालय करता है।

उन जिलों में जहाँ नि:शक्तजनों के कल्याण के लिये संस्थान या विद्यालय नहीं हैं वहाँ इसकी स्थापना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही करता है। यूनिसेफ सहायता कार्यक्रमों का संचालन यह मंत्रालय करता है।

इस प्रकार मंत्रालय द्वारा नि:शक्तग्रस्त व्यक्तियों के लिये समय-समय पर राष्ट्रीय नीति को भी अंतिम रूप दिया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नि:शक्तजन दिवस के आयोजन में भी यह मंत्रालय सहायता प्रदान करता है।

7. समाजरक्षाकार्यक्रम:-

अनाथ, वृ□ अपराधी, नशेड़ी तथा अन्य कुप्रवृत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनेक कार्यक्रम तथा योजनायें चलाती है।

शिशु गृह योजना, किशोर न्याय प्रशासन, वयोवृ□ों की मासिक पेंशन भिक्षावृत्ति निवारण योजना, नशीली दवा दुरुपयोग निवारण इत्यादि से संबंधित सारे कार्यों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ही चलाया जाता है। 26 जून 2005 से नशामुक्ति व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय नेटवर्क की शुरुआत की गई है।

अपराध निवारण तथा अपराधियों के उपचार, किशोर न्याय प्रशासन, कैदियों के कल्याण, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति तथा नशीली दवा इत्यादि समस्याओं पर परामर्श देने वाले 'राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के सहयोग से आवश्यक योजनायें तैयार की जाती है।

8. सूचनातथाजनशिक्षाकार्य:-

अनुसूचित जाति, नि:शक्तजन, नशेड़ी, भिक्षुक, बाल श्रमिक, वेश्याओं, शराबी तथा समाज के सभी वर्गों के सूचना, ज्ञान और शिक्षा के प्रसार के लिये जन संचार माध्यमों से संदेश प्रसारित करना तथा उन्हें प्रकाशित करना, ये सब प्रयास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का है, जिससे सामाजिक कल्याण के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो सके।

9. अन्यकार्य:-

इन सभी वर्णित कार्यों के अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। जैसे-ये सभी आयोगों एवं वे मंत्रालयों जो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आते हैं प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। 3 सितंबर 1998 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 'पशु कल्याण' से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं। मंत्रालय ने एच०आई०वी० या एडस से पीड़ित व्यक्तियों के लिये भी परामर्शदाताओं की व्यवस्था की है।

इस प्रकार समाज कल्याण से संबंधित सारी समस्याओं, जिसका वर्णन अभी किया गया है, तथा योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि पर अनुसंधान, मूल्यांकन तथा सांख्यिकी इत्यादि एकत्र करने का कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में निरंतर चलता रहता है।

6.4 *महिलाएवंबालविकासमंत्रालय*(Department of Women and Child Development)

सामाजिक विकास को मूर्तरूप देने में महिलाओं एवं बच्चों को कल्याण करना प्राथमिक आवश्यकता है। 1985 में भारत सरकार के मंत्रालयों का पुर्नगठन हुआ था और मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहली बार अधीन चार विभाग से जिनमें एक महिला एवं बाल विकास विभाग रखा गया था और महिला विकास से संबंधित सभी कार्य

'महिला एवं बाल विकास विभाग' को प्रदान कर दिये गये। 15 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को फिर दो अगल-अलग मंत्रालयों में विभक्त कर दिया। जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग को रखा गया। परन्तु 30 जनवरी 2006 से महिला एवं बाल विकास विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया गया और तब से यह एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

संगठन:-चूंकि पहले यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक विभाग के रूप में था, इसलिये एक राज्य मंत्री द्वारा नियंत्रित था। परन्तु जब इसे पृथक मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है, तो अब इसमें स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री होते हैं।

यह मंत्रालय एक सचिव के अधीन कार्य करता है। मंत्रालय का प्रशासनिक मुखिय सचिव ही होता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S.) का वरिष्ठ पदाधिकारी होता है। सचिव की सहायता के लिये तीन संयुक्त सचिव होते हैं। ये अपने-अपने व्यूरों के प्रमुख होते हैं इसके अतिरिक्त आर्थिक सलाहकार, सांख्यिकी सलाहकार तथा वित्तीय सलाहकार भी कार्यरत है।

संयुक्त सचिवों के अधीन उपसचिव, निदेशक, सहायक सचिव, तथा अन्य पदाधिकारी कार्य करते हैं। अन्य मंत्रालयों तथा विभागों की भाँति इस मंत्रालय में भी वित्तीय सलाहकार, बजट, लेखा वित्त तथा मित्तव्ययता से संबंधित कार्य करता है।

मंत्रालय में तीन प्रमुख व्यूरो कार्य करते हैं—

1. महिला विकास व्यूरो
2. बाल कल्याण व्यूरो
3. बाल विकास व्यूरो

इस मंत्रालय के अधीन चार स्वायत्तशासी संगठन हैं—

1. राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निसपिड) NIPCCI
2. केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा)
3. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB (सी० एस० डब्लू० बी०) और
4. राष्ट्रीय महिला कोष RMK सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थान है जबकि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत एक पुण्यार्थ कंपनी है। ये संगठन सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है और वे मंत्रालय के कार्यों में इसकी सहायता करते हैं जिनमें विभाग के कुछ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य भी शामिल हैं। महिलाओं के लिये सर्वोच्च संविधानिक निकाय के रूप रूप में 1992 मे स्थापित राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा पर निगरानी रखने में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आंतरिक प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत (26) छबीस प्रभाग हैं। ये प्रभाग हैं—प्रशासन प्रभाग, समन्वय प्रभाग, लेखा एवं बजट प्रभाग, बाल विकास प्रभाग, बाल वेश्यावृति प्रभाग, शिशु गृह प्रभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड प्रभाग, बाल कल्याण प्रभाग, केन्द्रीय परियोजना प्रबंधन प्रभाग, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रभाग, बालिका प्रभाग, खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड प्रभाग, राष्ट्रीय पोषाहार नीति प्रभाग, इंदिरा महिला

योजना प्रभाग, लघु ऋण विकास प्रभाग, राष्ट्रीय महिला आयोग प्रभाग, पोषाहार प्रशासन प्रभाग, योजना प्रभाग, विश्व बैंक प्रभाग, संसदीय प्रभाग, अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय महिला कोष प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, कामकाजी महिला हॉस्टल प्रभाग, विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रभाग, सतर्कता प्रभाग।

इन प्रभागों के अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कार्यक्रम या योजना विशिष्ट की आवश्यकता के अनुसार इकाई प्रकोष्ठ या प्रभाग गठित किये जाते हैं, और योजना की समाप्ति पर इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जैसे–(NORAD) – Narwayian Agency for International Development to Treaining and Employment Programme for Women) प्रभाग इसी श्रेणी में आते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संगठात्मक ढाँचा

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(राज्य मंत्री, स्वतंत्र मंत्री)

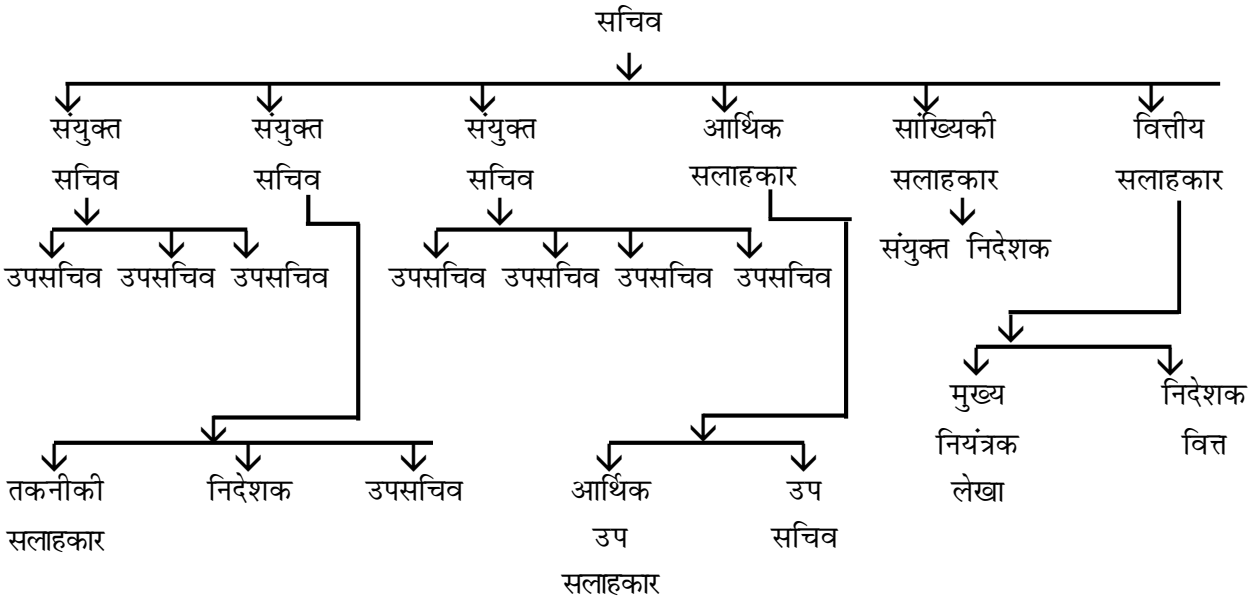

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्य :-

यह मंत्रालय देश में महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिये उत्तरदायी है। एक विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 25 सितंबर 1985 को करत समय इस विभाग को महिला तथा बालकों से संबंधित नीतियों बनाने, कार्यक्रम निर्धारित करने उन्हें क्रियान्वित करने, बजट बनाने, प्रशासनिक नियंत्रण तथा निर्देशन करने एवं सरकारी तथा गैर सरकारी निकायों से प्रत्येक स्तर पर समन्वय स्थापित करने के सामान्य उत्तरदायित्वों को करता है और इस संबंध में कार्यक्रम और आवश्यक नीतियों तैयार करता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बालकों, महिलाओं तथा कुपोषण से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित होने वाले कार्यक्रमों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

1. महिला विकास कार्यक्रम
2. बाल विकास कार्यक्रम
3. खाद्य एवं पोषाहार कार्यक्रम

(1) महिला विकास कार्यक्रम :-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित जो भी कार्यक्रम चलाये जाते हैं उनमें प्रमुख जोर महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण, प्रशिक्षण, रोजगार तथा शिक्षा, सहायक सेवाओं के संचालन तथा महिला अधिकारों एवं कानूनों की क्रियान्विति पर रहता है। मंत्रालय द्वारा निम्नतर स्तर की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये विशिष्ट कार्यक्रम चलाये जाते हैं। मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाया गया तथा अनेक कल्याणकारी योजनायें लागू हुई।

16 अक्टूबर 1998 को पाँच वर्ष के लिये लागू की गई 'ग्रामीण महिला विकास तथा शक्तिसंपन्नता (स्वशक्ति) योजना चलाई गई। यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर उन्हें आत्मनिर्भरता प्रदान करती है। इस स्कीन के अंतर्गत कई लाख महिलायें लाभान्वित की गई हैं।

स्वशक्ति ग्रामीण महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण की परियोजना है, जिसमें विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कृति विकास कोष (आइ० एफ० ए० डी०) दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं को कठिन परिश्रम तथा समय की कटौती संबंधी तरीकों का इस्तेमाल स्वास्थ्य, साक्षरता एवं विश्वास वृ□ में दक्षता का विकास कराये तथा महिलाओं के आय को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये संसाधनों तक उनकी पहुँच को आसान बनाना है। स्वशक्ति परियोजना का उद्देश्य यह भी है कि यह करीब 16,000 तक स्वावलम्बी महिलाओं के स्वसहायता समूहों की स्थापना करना, जिनमें प्रत्येक में 15 से 20 सदस्य हों।

आय सृजन संबंधी कार्यकलापों के लिये ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की पहुँच निश्चित कराने के लिये स्वसहायता समूहों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच संपर्क तैयार करना। इसका उद्देश्य महिलाओं, विशेष रूप से गरीब महिलाओं की आय बढ़ाना जिससे गरीबी उन्मूलन में मदद मिलेगी। महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये संसाधनों को जुटाना तथा कठिन परिश्रम को कम करने वाले तथा समय की बचत करने वाले तरीकों का प्रयोग करना तथा महिलाओं की जरूरतों का ध्यान रखने के लिये सहायता एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना।

15 अगस्त, 1995 को देश के अनेक ब्लॉकों में ''इंदिरा महिला योजना' शुरु हुई। यह एक बहुमुखी योजना थी जो महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण तथा अन्य सहायता, प्रदान करती थी। वर्तमान में 'स्वयंसि□' (एकीकृत महिला सशक्तिकरण योजना) योजना भी इसी प्रकृति की है।

स्वयंसि□ महिलाओं के स्व-सहायता दलों के गठन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की समेकित स्कीम है। यह स्कीम देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में फरवरी 2001 में शुरू की गई थी। परन्तु इस स्कीम में संघ राज्य क्षेत्रों की रुचि न होने के कारण गोवा, दमन एवं दीव, दादर व नगर हवेली तथा चंढीगढ़ में इसका कार्यक्रम बढ़ कर दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लघु ऋणों, आर्थिक संसाधनों आदि तक महिलाओं की पहुँच तथा महिलाओं का समग्र सशक्तिकरण करना है। बहुत से राज्यों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आई०सी०डी०एस० अवसंरचना के माध्यम से लिया जा रहा है, जबकि कुछ राज्यों में यह स्कीम राज्य महिला विकास निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत कई लाख महिलायें लाभान्वित की गई। इसकी अनेक समूह बनाये गये है। इस स्कीम के अंतर्गत स्व सहायता दलों ने करोड़ों रुपये की बचत की, और करोड़ों रुपये बैंकों में जमा किये। आवश्यकता पड़ने पर बैंकों ने इन्हें ऋण भी मुहैया कराये हैं।

इसी प्रकार 1993 से ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति विकसित करने के लिये 'महिला समृ योजना' भी यही मंत्रालय संचालित करता है। आस्ट्रेलिया सरकार, नोराड तथा यू० एन० एफ० पी० ए०, (United Nations Fund for Population Activities) की सहायता से भी कुछ महिला विकास योजनायें यह मंत्रालय संचालित करता है।

'महिलाओं हेतु प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्ट्रेप)' के माध्यम से साधनविहीन महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, रेशम कटिपालन, सामाजिक वानिकी, हथकरघा तथा मत्स्य पालन इत्यादि पारंपरिक क्षेत्रों में ज्ञान तथा कौशल प्रदान किया जाता है। वर्ष 1987 में शुरु किया गया यह कार्यक्रम उपर दिये गये कार्यक्रमों के अतिरिक्त सामाजिक वानकी, और अपनी उत्पादकता एवं आय सृजन वृ हेतु वंजर भूमि के विकास आदि कार्यों में आधुनिक दक्षता एवं नवीन जानकारी उपलब्ध कराता है। इनसे इनके रोजगार के अवसरों में वृ होगी तथा स्व-रोजगार और उद्यमशीलता जैसी दक्षताओं का विकास होगा। महिला लाभार्थियों को अर्थक्षम और सशक्तिशील समूहों या सहकारी समीतियों में संगठित किया जाता है। उन्हें ऋण की सुविधा के अलावा प्रशिक्षण, बुनियादी अवसंरचना, बाजार संबंध इत्यादि सेवाओं का व्यापक पैकेज उपलब्ध कराया जाता है।

कामकाजी महिलाओं के लिये हॉस्टल का निर्माण, विस्तार, रखरखाव तथा महिलाओं एवं लड़कियों के लिये अल्पवास गृहों के लिये यह विभाग आर्थिक सहायता प्रदान करता है। पूर्व में 'नोराड' द्वारा वित्तपोषित योजना अब 'स्वावलम्बन' के नाम से संचालित हो रही है। 'स्वाधार' योजना भी यह मंत्रालय संचालित करता है। सन् 2001 से शुरु हुई 'किशोरी शक्ति योजना' के अंतर्गत 11-18 वर्ष की किशोरियों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, मनोरंजन तथा कौशल वृ के प्रयास राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहायता से किये जा रहे हैं। 'राष्ट्रीय महिला कोष' से महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिला आयोग महिला अधिकारों की रक्षा में मुख्य संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल द्वारा भी बहुत से कार्यक्रम तथा योजनायें चलाई जा रही है जो महिला कल्याण को केंद्रित है। सितंबर 1995 में बिजिंग (चीन) में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के पश्चात् राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति के निर्माण की ओर भी मंत्रालय ने गंभीरता से मंथन किया।

अगस्त 1947 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के पश्चात् कार्यस्थलों तथा अन्य संस्थानों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये यह मंत्रालय दिशा निर्देशा का क्रियान्वयन करता रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा समाज विकास के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा उत्कृष्ट योगदान के लिये सन् 2000 से पुरस्कार दिये जाने की योजना बनाई गई, जो कि भारीय इतिहास की सुविख्यात महिलाओं के नाम पर है जैसे–

(1) देवी अहिल्या बाई होल्कर स्त्री शक्ति पुरस्कार, माता जीजा बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, रानी लक्ष्मी बाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, रानी में द्रेल्यू जेलियाग स्त्री शक्ति पुरस्कार तथा कण्णगी स्त्री शक्ति पुरस्कार।

(2) ***बालविकासकार्यक्रमः-***

भारत में बच्चों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। अतः बच्चों के विकास की आवश्यकता भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1974 में 'राष्ट्रीय बाल नीति' की घोषणा की गई, और इसके पश्चात् इस दिशा में तेजी से प्रयास शुरू हुये। सन् 1975 में आई० सी० डी० एस० (Integrated child Development Service) योजना की शुरुआत हुई। इय योजना से करोड़ों बच्चे लाभ उठा रहे हैं।

एकीकृत बाल विकास सेवा के माध्यम से चलने वाले 'आंगनबाड़ी केन्द्रों' द्वारा बच्चों एवं महिलाओं को पूरक, पोषाहार, टीकाकरण, प्राथमिक शिक्षा, मनोरंजन तथा स्वास्थ्य शिक्षा सेवाएँ प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह योजना बहुयामी तथा समन्वित प्रकृति की है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ-साथ योजना आयोग (जिसके स्थान पर अब नीति आयोग बन गया है), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा शहरी विकास मंत्रालय योगदान रे रहे हैं। 1991-92 से इस योजना में किशोर बालिकाओं का विशेष कार्यक्रम भी जोड़ दिया गया है।

सन् 1955 से आई० सी० डी० एस० (Integrated Child Development Service) को 'समन्वित माँ तथा शिशु विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। विश्व बैंक की सहायता से बालकों की देखभाल में जुटे कार्यकर्त्ताओं के लिये 'उदिशा' (समेकित बाल विकास सेवा का प्रशिक्षण कार्यक्रम) कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। 'उदिशा' एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है—नव प्रभात की प्रथम किरणें। 'राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम योजना' (National Plan of Action for Children), 2005 की क्रियान्विति भी यह मंत्रालय ही सुनिश्चित करता है।

'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी' (कारा) देश के अंतर्गत तथा देश के बाहर दत्तक ग्रहण (गोद लेना) हेतु उपलब्ध बच्चों के बारे में सूचना, जाँच तथा स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह ऐजेंसी 18 मार्च 1999 से सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

कामकाजी तथा बीमार माताओं के बच्चों के देखभाल के लिये शिशु गृह या दिवस देखभाल केंद्रों का संचालन भी इसी विभाग के निर्देशन में किया जाता है। 21 मार्च, 1994 को बनाई गई 'राष्ट्रीय शिशुगृह निधि' के माध्यम से शिशु केन्द्रों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1970-71 से बालबाड़ी पोषहार कार्यक्रम भी देश में संचालित हो रहा है।

1. इसके अतिरिक्त, महिला एवं विकास मंत्रालय, बाल कल्याण के क्षेत्र में कई पुरस्कार भी प्रदान करता है जैसे— बालसेवा हेतु राजीव गाँधी मानव सेवा पुरस्कार (199 से)

2. राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (1987 से) (1999 से दिया जा रहा है)

3. राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार (1957 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है।)

बाल समृ□ योजना की 2 अक्टूबर, 1997 की इस उद्देश्य के साथ शुरु की गई थी कि बालिका की समग्र स्थिति को उपर उठाया जाये, और उसके प्रति परिवार तथा समाज के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाये।

(3) ***खाद्यएवंपोषाहारकार्यक्रमः-***

इस मंत्रालय के साथ 1 अप्रैल 1993 से राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत बनया गया 'खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड' (Food and Nutrition Board) कार्य करा रहा है। यह पहले खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होने के अतिरिक्त इस बोर्ड के चार क्षेत्रीय कार्यालय (नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई) और 43 बोर्ड की क्षेत्रीय शाखाएँ भी कार्य कर रही हैं। यह बोर्ड पोषण शिक्षा-प्रशिक्षण फलों और सब्जियों ो घर में परिरक्षित करने का प्रशिक्षण, जनजागरण, पोषक आहारों का विकास, इत्यादि अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व खाद्य दिवस, आयोडीन की कमी से उत्पन्न विकार संबंधी विश्व दिवस इत्यादि कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जनचेतना कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त 'बालिका समृ योजना' (जिसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं) के द्वारा बालिकाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिवर्तित करने का प्रयास भी इस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। महिला एवं बाल विकास से संबंधित सामग्री का प्रकाशन, वितरण तथा अनुसंधान कार्य करना, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन देना भी मंत्रालय की मुख्य गतिविधियाँ हैं। मंत्रालय की 1982 से संचालित होन वाली महत्वपूर्ण योजना 'द्वाकरा' (Development of Women and Children in Rural Areas) को 1999-2000 से 'स्वर्ण जयन्ती' ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के साथ मिला दिया गया है।

इस प्रकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों की व्याख्या, इस बात की परिचायक है कि देश में महिलाओं तथा बालकों के विकास से संबंधित नीति-नियोजन के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किये जा रहे प्रयासों से तालमेल बिठाते हुये यह मंत्रालय, विकास कार्यक्रमों का निरूपण और क्रियान्वयन करता है। यह संगठन देश में महिला बाल विकास से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करने के साथ ही क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी गतिशील बनाता है।

'एक नई भोर' (Towards a new Dawn) के ध्येय को लेकर कार्यरत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'लैंगिक बजटिंग' (Gender Budgeting) तथा 'बालक बजटिंग' (Child Budgeting) जैसे नये-नये प्रयास भी किये जा रहे हैं। इस प्रकार के बजट में यह देखा जाता है कि महिलाओं पर योजनाओं में कितना खर्च किया जाता है, और इसके लिये कितने संसाधन उपलब्ध है और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। देश के आम बजट वर्ष 2005-06 में पहली बार लौंगिक बजटिंग का प्रयोग किया गया। इसी प्रकर के प्रयास बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी किये जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय नीति, 2001 (National Policy for the Employment of Women) के क्रियान्वयन का दायित्व भी यह मंत्रालय ही वहन करता है। बालक बजटिंग में बाल विकास, बाल स्वास्थ्य, बाल शिक्षा तथा बाल सुरक्षा से संबंधित व्यय को प्रमुखता दी गई है।

6.5 *केन्द्रीयसमाजकल्याणबोर्ड*(Central Social Welfare Board)

भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटिश काल की विरासत है। अत: प्राचीन काल से लेकर अब तक सामाजिक कार्यों का निर्वहन मुख्य रूप से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता रहा है। कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत इन गैर सरकारी या स्वैच्छिक अभिकरणों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये भारत में समाज कल्याण मंडलों या बोर्डों की स्थापना की गई है। समाज कल्याण मंडल (बोर्ड) दो स्तरों पर कार्य करता है—

1. केन्द्रीय स्तर पर — केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल
2. प्रादेशिक स्तर पर — राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल

केन्द्रीयसमाजकल्याणमंडल(Central Social Welfare Board) :-

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एक अग्रणी संगठन है। समाज कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने वाले संगठनों को प्रोत्साहित करने तथा इन्हें सहायता और परामर्श देने के लिये अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल (C.S.W.B.) की स्थापना की गई। तभी से यह संगठन महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के कल्याण और विकास के लिये कार्यरत है। कई वर्षों से संगठन ने स्वयंसेवी संस्थाओं के विकास के लिये और उन्हें वित्तीय सहायता देने के लिये विभिन्न कार्यक्रम तैयार किये हैं, जिससे कि वे विभिन्न कल्याण विकास कार्यक्रम शुरू कर सकें। दूर-दूर के ग्रामीण,

आदिवासी और सीमावर्ती क्षेत्रों में, जहाँ पहले से ये कार्यक्रम जैसे कल्याण सेवायें इत्यादि मौजूद नहीं थे वहाँ ऐसे कार्यक्रम शुरु करने का श्रेय इसी संगठन को जाता है। प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा 4 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि मंडल को प्रदान की गई थी।

स्वैच्छिक संगठनों के निर्माण को बढ़ावा देने, उन्हें पर्याप्त तकनीकी तथा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और समाज कल्याण में जुटे विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने इत्यादि के प्रारंभिक लक्ष्यों के साथ केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना की गई थी। 1960 तथा 1969 में विभिन्न दलों की अनुशंसाओं तथा परिवर्तित कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुसार केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के उद्देश्यों में कुछ संशोधन किये गये थे। समाज कल्याण मंडल के उद्देश्यों को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है।

केन्द्रीयसमाजकल्याणमंडलकेउद्देश्य(Objectives of CSWB) :-

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य रहे हैं–

1. सर्वेक्षण, अनुसंधान तथा मूल्यांकन के माध्यम से सामाजिक कल्याण संगठनों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं का अध्ययन करना;
2. सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरणों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना;
3. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा सामाजिक कल्याण गतिविधियों पर दी जा रही सहायता को समन्वित करना;
4. ऐसे क्षेत्रों में जहाँ समाज कल्याण संगठन नहीं है, और उनकी आवश्यकता है, तो उन क्षेत्रों में समाज कल्याण संगठनों को स्थापित करने में सहायता करना;
5. महिलाओं, बच्चों, नि:शक्तजनों के कल्याण के लिये समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा बेरोजगारों, वृ□ों, रोगियों, असहाय तथा जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना;
6. आवश्यकता पड़ने पर समाज कार्य में प्रशिक्षण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा मार्गदर्शक परियोजनायें तैयार करना और इन्हें लागू करना;
7. राष्ट्रीय, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं के समय अगर आवश्यकता पड़ी तो आपातकालीन राहत कार्यक्रम का आयोजन करना;
8. स्वैच्छिक संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

केन्द्रीयसमाजकल्याणकासंगठन(Organisation of CSWB) :-

बोर्ड द्वारा राष्ट्र को समर्पित सेवा 60 (साठ) वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। इस यात्रा में स्वतंत्र भारत में स्वैच्छिक क्षेत्रों के विकास की झलक दिखाई देती है। आज केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पूरे देश में स्वैच्छिक संगठनों के व्यापक नेटवर्क के जरिये महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये कार्य करने वाला अग्रणी संगठन हे।

प्रारंभ में केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल में एक अंशकालीन सभापति सहित कुल 12 सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य बनाये गये। मंडल की स्थापना के समय से ही यह प्रयास किया जा रहा है कि मंडल के सभापति (अध्यक्ष) के पद पर अनुभवी समाजसेवी महिला को ही नियुक्त किया जाये। मंडल की प्रथम अध्यक्ष सुप्रसि□ समाज सेविका

डा० श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थीं, जो नौ वर्ष (1953-62) इस पद पर रहीं। प्रारंभ में चार सरकारी सदस्य वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रम मंत्रालय से लिये गये थे तथा सात गैर सरकारी सदस्य समाज सेवी संस्थाओं, लोकसभा तथा राज्यसभा से लिये गये थे।

***आमसभा*(General Body) :-**

मंडल को सुचारू रूप से चलाने के लिये उसके नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिये एक आम सभा होती है। मंडल की अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक तथा अन्य 53 सदस्य मिलकर आम सभा का निर्माण करते हैं। अत: केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की आम सभा में एक अध्यक्ष सहित कुल 55 सदस्य होते है जो इस प्रकार है –

1.	सभी राज्यों के राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों के अध्यक्ष	–	53
2.	दो सदस्य लोक सभा अध्यक्ष द्वारा तथा एक सदस्य राज्यसभा से राज्यसभा के सभापति द्वारा	–	03
3.	विधि, चिकित्सा, समाज कार्य, शिक्षा तथा सामाजिक विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ	–	05
4.	समाज कार्य में गहन अनुभव	–	03
5.	महिला एवं बाल किवास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, योजना आयोग (योजना आयोग के समाप्त हो जाने के उपरांत नीति आयोग से सदस्य हो सकते हैं), श्रम आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्रतिनिधि	–	09
6.	केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की अध्यक्ष	–	01
7.	कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल	–	01
	Total	**–**	**55**

***कार्यकारिणीसमिति*(Excutive Committee) :-**

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की एक स्थायी तथा वैधानिक कार्यकारी समिति होती है जिसमें करीब 15 सदस्य होते हैं। मंडल की अध्यक्ष इस समिति की भी सभापति होती हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त मंडल का कार्यकारी निदेशक, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से प्रतिनिधि तथा समाज सेवा क्षेत्र के प्रसि□ कार्यकर्ता इस समिति में सम्मिलित होते हैं। पाँच राज्यों के राज्य कल्याण सलाहकार मंडलों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य है। यह समिति मंडल के प्रशासनिक, वित्तीय, कार्मिक तथा अन्य प्रबंधीय कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने तथा निर्णय लेने के लिये भी अधिकृत है। कार्यकारी समिति साल में छ बार अपनी बैठकें करती है। मंडल के नियमों के अनुसार यदि आवश्यकता पड़ी तो कार्यकारिणी समिति अस्थायी समितियाँ भी बना सकती है।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की कार्यकारी समिति का गठन इस प्रकार है –

1.	चक्रानुचक्र (Rotation) क्रम से राज्य कल्याण सलाहकार मंडलों के अध्यक्ष	–	05
2.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि	–	06
3.	मंडल की आम सभा से दो पेशेवर व्यक्ति	–	02
4.	मंडल की अध्यक्षता	–	01
5.	मंडल के कार्यकारी निदेशक	–	01
	Total	**–**	**15**

***कार्यकारीनिदेशक*(Excutive Committee) :-**

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के रोज दिनों के प्रशासनिक कार्यों को करने के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को मंडल में कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है। मंडल की अध्यक्ष के निर्देशन में कार्यकारी निदेशक कार्य करता है। कार्यकारी निदेशक के अधीन पाँच प्रशासनिक संभाग बने हुये हैं, जो चार संयुक्त निदेशकों एवं एक वित्तीय सलाहकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यशील हैं।

***कार्यालयसंरचना*(Office Structure) :-**

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के प्रशासनिक कार्यालय को पाँच संभागों में बाँटा हुआ है–

***(1)औद्योगिककार्यक्रमप्रशासनिकसंभाग*:-**

यह संभाग एक संयुक्त निदेशक, चार उपनिदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। इस संभाग को स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने, परियोजना मूल्यांकन करने, बजट तैयार करने, संसद में प्रश्नोत्तर देने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने इत्यादि का कार्य भार सौंपा जाता है।

***(2)कल्याणकार्यक्रमप्रशासनिकसंभाग*:-**

यह संभाग एक संयुक्त निदेशक के निर्देशन में तीन उपनिदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों की सहायता से कर्य करता है। इस संभाग को महिला मंडल, सीमा क्षेत्र, सामुदायिक विकास, तथा कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों के कार्यक्रमों की क्रियान्विति दिया गया है। इसके अतिरिक्त पोषाहार, क्रेच, महिला एवं बाल विकास परियोजना के निर्माण एवं संचालन का कार्यभार भी दिया गया है।

***(3)प्रशासनिकसंभाग*:-**

नाम से ही जैसा प्रतीत होता है इस संभाग को कार्मिकों की नीति, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा सेवा शर्तों के निर्धारण का कार्य सौंपा गया है। इसके अतिरक्त समाज कल्याण तथा 'शोशल वेलफेयर' प्रत्रिकाओं के प्रकाशन तथा मंडल की उपलब्धियों, तथा कार्यक्रमों के प्रसार और प्रचार का काम भी सौंपा गया है। इस संभाग में भी एक संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, दो सम्पादक (हिन्दी और अंग्रेजी) तथा एक जनसंपर्क अधिकारी सहित अन्य कर्मचारी इस संभाग में कार्यरत हैं।

***(3)वित्ततथालेखासंभाग*:-**

आंतरिक वित्त सलाहकार सह मुख्य लेखा अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यह संभाग कार्य करता है। मंडल की निधि तथा सम्पत्तियों की रक्षा तथा वित्तीय नियोजन और प्रबंध का कार्य इसी संभाग का दायित्व है। इसमें एक वेतन तथा लेखा अधिकारी तथा दो लेखा अधिकारियों सहित अन्य सहायक कार्मिक कार्य करते हैं।

***(5)नियोजन,मॉनीटरिंगतथासमन्वयसंभाग*:-**

इस संभाग में एक संयुक्त निदेशक, दो उप निदेशक, एक वरिष्ठ प्रबंधक विश्लेषक तथा एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी तथा अन्य कार्मिक होते हैं। समाज कल्याण से संबंधित आवश्यक तथ्य को एकत्र करने का कार्य भी यही संभाग करता है। इस संभाग को केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल के कार्यक्रमों का अनुसंधान, मूल्यांकन, मॉनीटरिंग, परामर्श और समन्वय का कार्य सौंपा गया है।

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना से लेकर अबतक अनेक बार इसमें संरचनात्मक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हो चुके हैं। इसके संगठन में भी समय-समय पर अनेक सुधार किये गये हैं।

***केन्द्रीयसमाजकल्याणबोर्डकेकार्यक्रम*:-**

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल (बोर्ड) राज्यों में स्थित अपने राज्य समाज कल्याण मंडल (बोर्ड) राज्यों में स्थित अपने राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडलों की सहायता से और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कई योजनाओं का संचालन करता हैं, जिन्हें 'समाज कल्याण कार्यक्रम' के नाम से जाना जाता है।

***(1)कामकाजीऔरबीमारमाताओंकेबच्चोंकेलियेपोषाहार*:-**

1974-75 में कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिये पालनाघर योजना शुरु की गई थी। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इसे शुरु किया था। बाद में 1977-78 से इस योजना को केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल को सौंप दिया गया।

इस योजना का उद्देश्य निम्न आय वर्ग की कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों को बुनियादी सेवायें प्रदान करना है। योजना में बच्चों को सोने की सुविधायें, स्वास्थ्य रक्षा, पूरक पोषाहार एवं रोग निरोधक टीकों की सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 'संचालक अभिकरण' के अंतर्गत यह कार्यक्रम उन सुस्थापित अखिल भारतीय संगठनों को सौंप दिया जाता है, जिन्हें ऐसे कल्याण कार्यक्रमों के संचालन का अनुभव है। 1 जनवरी 2006 से मंडल द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये '***राजीवगाँधीराष्ट्रीयशिशुगृह योजना***' संचालित की जा रही है।

(2)इसके कार्यक्रम प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम का भी प्रबंध किया गया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षित करने के साथ-साथ संबंध कार्य में दक्ष करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। यह पाठ्यक्रम ग्रामीण, आदिवासी, पिछड़े और शहरी गन्दी बस्तियों में आयोजित किये जाते हैं।

***(3)महिलाओंकेलियेव्यावसायिकप्रशिक्षणपाठ्यक्रम*:-**

इस योजना का उद्देश्य है कि 15 वर्षों से उपर की जरूरतमंद महिलाओं के लिये व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु अवसर प्रदान करना, जिससे वे उचित रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके लिये इन्हें वित्त सहायता दी जाती है। मशीनों की खरीददारी के लिये भी अनुदान दिया जाता है।

(5)जरुरतमन्दमहिलाओंऔरनि:शक्तजनोंकेलियेसामाजिक-आर्थिककार्यक्रम:-

केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल अपने सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के माध्यम से निराश्रित महिलाओं, विधवाओं, परित्यकताओं एवं शरीरिक रूप से बाधितों को पूर्णकालीन रोजगार या अंशकालीन रोजगार दिलाने अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपने परिवार के माय को बढ़ा सकें।

असहाय महिलाओं को राहत देने के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अल्पवास गृह योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आश्रय, परामर्श और मनोचिकित्सा की सुविधा दी जाती हैं, जो मांसिक असंतुलन, सामाजिक उत्पीड़न की शिकार हों जिन्हें शारीरिक यंत्रणा के कारण घर से भागना पड़ा हो, अथवा जो दैहिक शोषण का शिकार हो, अथवा जिन्हें वैश्यावृत्ति के लिये विवश किया गया हो। अल्पावास गृह योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को फिर से समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। वैसे तो यह योजना 1969 में ही शुरु हो गई थी, पर 1999 में इस कार्यक्रम का दायित्व केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सौंप दिया गया।

(5)विशेषवर्गसमूहकेलियेपरिवारपरामर्शकेन्द्र:-

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिये जो स्वैच्छिक संस्थायें कार्य करती हैं और केन्द्र चलाती हैं उन्हें अनुदान राशि दी जाती है। इन केन्द्रों को स्थापित करने का उद्देश्य मुसीबत में फसी ऐसी महिलाओं को तुरन्त सहायता प्रदान करना है, जिनके मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं। ये केन्द्र पारिवारिक विवादों को न्यायालय के बाहर निपटाने का प्रयास करते हैं। प्रचार, फिल्म प्रदर्शनों तथा नाटकों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के विरू जनमत तैयार करने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

विवाह पूर्व परामर्श केन्द्र बोर्ड की एक नई पहल है, जो दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे हैं। कुछ महिला कारागारों में भी जैसे दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को महिला कारागारों में परिवार परामर्श केन्द्र चह रहे हैं। बलात्कार के मामलों में भी सहायता के लिये 'हेल्पलाइन' दिल्ली और मुंबई में 24 घंटे उपलब्ध हैं।

(6)ग्रामीणऔरगरीबमहिलाओंकेलियेजागरूकतापरियोजना:-

महिला जागरूकता शिविर ग्रामीण और गरीब महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है, जहाँ वे इकट्ठा होकर आपसी अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान कर सकती हैं। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1986-87 में, जागरूकता प्रसार शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की जरूरतों की पहचान करना और विकास संबंधी अन्य कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यह महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार सहित सामाजिक मुद्दों का मुकाबला करने का सामर्थ्य प्रदान करता है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1958 में शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम तथा 1975 में व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था, पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने में सहायता देना। बोर्ड ने 1975 में व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना की शुरूआत की जिससे उत्पाद बाजार में उनके सामानों की बिक्री हो सके। व्यवसायिक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्म सम्मान बढ़ सके। व्यवसायकि प्रशिक्षण के लिये धनराशि अब महिला आर्थिक कार्यक्रम (नोराड) के माध्यम से की जा रही है, जिसका नया नाम "स्वावलम्बन" है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये महिला संगठनों को प्राथमिकता दी जाती हैं।

(7)महिलाओंकोलाभकाजहेतुसक्षमबनाना: -

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कामकाजी एवं रुग्ण माताओं के बच्चों के लिये पालनाघर संबंधी सेवायों प्रदान की जाती हैं। यह योजना यह सुनिश्चिति करने के लिये प्रारंभ की गई, कि ऐसे बच्चों को दिन में उनकी माताओं की अनुपस्थिति में उचित देखभाल हो सके। इसके लिये राशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

इसके अतिरिक्त निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिये हॉस्टल की सुविधायें प्रदान करने के लिये, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड सहायता देता है।

महिला मंडल कार्यक्रम की शुरूआत भी बोर्ड द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिये बालवाड़ियों और महिलाओं के लिये शिल्प गतिविधियों, सामाजिक शिक्षा एवं प्रसूति सेवाओं जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। इस प्रकार द्वार-द्वार तक विकास की गंगा ले जाना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड अपने उद्देश्य, बोर्ड के कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रचार और सामाजिक मुद्रों पर चेतना जागृत करने के लिये दो पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है– 'समाज कल्याण' (हिन्दी) और शोशल वेलफेयर (Social Welfare, (English) इसकी सदस्यता शुल्क बहुत कम रखी गई है, जिससे यह जन-जन तक पहुँच सके।

इस प्रकार केन्द्रीय समाज कल्याण मंडल (बोर्ड) द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य एवं कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिससे आर्थिक सशक्तिकरण, के जरिये महिलाओं के हाथ मजबूत हों, वे कामकाज के लिये सक्षम बने जिससे सामाजिक क्षेत्र में किसी भी तरह वे पीछे ना रहें।

6.6 *सारांश*(Conclusion)

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा समाज कल्याण के क्षेत्र में किये गये प्रयास, कार्यक्रमों तथा समाज कल्याण की प्रशासनिक संरचना सहित उपलब्धियों का वर्णन इस यूनिट में किया गया है।

भारत राज्यों का संघ है। संविधान द्वारा निर्दिष्ट संघ सूची के दायित्वों की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सेवाओं तथा कल्याण प्रशासन का दायरा बहुत सीमित था। समाजिक विकास से संबंधित कोई पृथक विभाग या मंत्रालय ब्रिटिश काल में नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गृह, नागरिक सुरक्षा, खाद्य तथा श्रम विभागों द्वारा सम्पादित किये जाते थे। यद्यपि समाज कल्याण तथा समाज सुरक्षा के लिये अब एक पृथक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कार्यरत है, फिर भी समाज व्यवस्था से संबंधित गतिविधियों, सामाजिक आवश्यकताओं तथा समस्याओं का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि यह कार्य एक मंत्रालय के बस का नहीं है। अत: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा संघ एवं राज्य स्तर पर करीब-करीब सभी विभाग समाज कल्याण कार्यक्रमों क संचालन करते हैं।

'महिला तथा बाल विकास मंत्रालय' अपने कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में शिक्षा एवं जागृति पैदा करके उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। इस नीति से व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार पर जोर दिया गया है, ताकि महिलायें पुरुषों के समान आर्थिक विकास की मुख्य धारा का अंग बना सकें। इसी प्रकार केन्द्रीय बोर्ड ने भी कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिये पोषाहार, प्रौढ़ महिलाओं के लिये शिक्षा, जरूरतमंद और नि:शक्तजनों के लिये सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम तथा जागरूकता फैलाने का कार्य एवं कार्यक्रम चलाये हैं।

अधिकतर, कार्यक्रम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सम्पादित करवाते हैं। मंडल की अधिकांश गतिविधियाँ महिला एवं बाल विकास को समर्पित हैं।

6.7 अभ्यासकेप्रश्न(Questions for Exercise)

1. *समाज कल्याण मंत्रालय का संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें।*

   Describe the organisational frame work and working of the Ministry of Social welfare.

2. *'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता' मंत्रालय के कार्यों की विवेचना करें।*

   What important Programmes and work are living done by the Ministry of Social justice and Empowerment.

3. *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं?*

   What important work are living done by the Department of women and child development ?

6.8 प्रस्तावितपाठ(Suggeted Readings)

1. *डा० सुरेन्द्र कटारिया – 'सामाजिक प्रशासन' आर बी एस ए पब्लिशर्श, 340 चौड़ा रास्ता, जयपुर।*
2. *डा० बी०एल० फाड़िया – 'भारत में लोक प्रशासन साहित्य भवन, आगरा।*
3. *वार्षिक प्रतिवेदन, 2005-06, 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' भारत सरकार, नई दिल्ली।*
4. *वार्षिक प्रतिवेदन, 2005-6, 'सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय' भारत सरकार, नई दिल्ली।*

●